बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक- 412422 पटना, दिनांक- 15/2/19

ग्रा0वि0-5/आधार (PEC-बैठक)-14-03/2017

प्रेषक,

कॅवल तनुज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय : ग्रामीण विकास विभाग (राज्य पंजीयक) के अंतर्गत स्थायी आधार पंजीकरण केन्द्रों (PECs) के अनुश्रवण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त के संबंध में कहना है कि ग्रामीण विकास विभाग, (राज्य पंजीयक) के अंतर्गत कार्यरत स्थायी आधार पंजीकरण केन्द्रों (PECs) के सफल संचालन एवं अनुश्रवण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन किया जाना आवश्यक है:-

1. प्रत्येक माह जिला स्तर पर आयोजित समीक्षात्मक बैठक में स्थायी आधार पंजीकरण केन्द्रों (PEC) के संचालन की भी समीक्षा की जाय तथा इससे संबंधित प्रतिवेदन विभाग को प्रेषित किया जाय । साथ ही जिला के नोडल पदाधिकारी आधार को निदेशित किया किया जाय कि वो प्रत्येक तीन माह पर जिले में स्थित सभी स्थायी आधार पंजीकरण केन्द्रों (PECs) का भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण करें ।
2. आधार पंजीकरण केन्द्रों के ऑपरेटरों को चुनाव से संबंधित कार्यो के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना है। विदित हो कि ये ऑपरेटर निजी कम्पनी के कर्मी है तथा इनकी सेवा उक्त कम्पनी के द्वारा अनुबंध पर ली गई है।
3. समय-समय पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र - छत्राओं के आधार पंजीकरण हेतु शिविरों का आयोजन किया जाता है। उक्त शिविरों के लिए स्थायी आधार पंजीकरण केन्द्रों (PECs) के ऑपरेटरों की प्रतिनियुक्ति अधिकतम 15 दिनों के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जिला आधार नोडल पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर की जा सकती है। इसकी सूचना विभाग को भी भेजा जाय।

4. प्रत्येक जिला में कार्यरत स्थायी आधार पंजीकरण केन्द्रों (PECs) में से एक स्थायी आधार पंजीकरण केन्द्र (PEC) को Model स्थायी आधार पंजीकरण केन्द्र (PEC) के रूप में चयनित करते हुए इसकी सूचना विभाग को दी जाय।
5. सभी स्थायी आधार पंजीकरण केन्द्रों (PECs) पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से सभी अधीनस्थ कार्यालयों को निदेशित करने की कृपा की जाय ।
6. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), भारत सरकार के द्वारा स्पष्ट रूप से निदेशित किया गया है कि सरकारी परिसरों में, बैंकों में एवं डाकघरों के अलावा अन्य कहीं भी निजी परिसरों में आधार पंजीकरण का कार्य नहीं किया जायेगा। यदि इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त होती है कि कहीं भी निजी परिसरों में आधार पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है तो उसके विरूद्ध कार्रवाई करते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), कैम्प कार्यालय, पटना तथा ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को इसकी सूचना भेजी जाय ।

अनुलग्नक: यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(कँवल तनुज)
15/2

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 412422 पटना, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव।
15/2

ज्ञापांक 412422 पटना, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि:- सहायक महानिदेशक, UIDAI, बिहार / SRP, ग्रामीण विकास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15/2
सरकार के संयुक्त सचिव।